कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड, जवाहर चौक, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / एन.ओ.सी /17/..13136.......... भोपाल, दिनांकः. 23 / 09 /2017

प्रति,

समस्त प्राचार्य / संचालक

नवीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था / नर्सिंग सीट्स वृद्धि संस्था

विषयः—आई.एन.सी द्वारा वर्ष 2017—18 मे प्रदाय की गयी नवीन नर्सिंग संस्थाओ को मान्यता एवं सीट्स वृद्धि की गयी संस्थाओ को कौंसिल की निर्धारित फीस जमा कर निरीक्षण कराने बाबत्।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आई.एन.सी द्वारा वर्ष 2017—18 मे प्रदाय की गयी नवीन नर्सिंग संस्थाओ को मान्यता एवं पुरानी संस्थाओ की सीटो मे सीट्सवृद्धि की गयी है उन संस्थाओ को कौंसिल की निर्धारित फीस जमा कर शीध्र निरीक्षण कराना अनिवार्य है, निरीक्षण न होने की स्थिति मे स्टेट कौंसिल की एन.ओ.सी प्रदाय नही की जायेगी न ही छात्र—छात्राओ के नामांकन किये जायेगे। नामांकन के अभाव मे छात्र—छात्राओ के प्रवेश मान्य नही किये जायेगे।

अतः निर्धारित फीस के साथ कौंसिल मे आवेदन प्रस्तुत करे।

निर्धारित फीस निम्नानुसार है :—

1. नवीन जी.एन.एम एवं सीट्सवृद्धि हेतु रूपये 18075/—
2. नवीन बी.एस.सी नर्सिंग एवं सीट्सवृद्धि हेतु रूपये 30075/—
3. नवीन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं सीट्सवृद्धि हेतु रूपये 30075/—
4. नवीन एम.एस.सी नर्सिंग एवं सीट्सवृद्धि हेतु रूपये 30075/—

23/9/17

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल

भोपाल, म0प्र0